वित्त निर्देश 36/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 330/एल 2015–71–00338/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 24.7.2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के मामले में संविदा वेतन का निर्धारण
संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9/1/2012/1/3, दिनांक 23.8.2014

सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अनुसार संविदा वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत दिनांक 1.1.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने के फलस्वरूप पदों के वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण पुनरीक्षित वेतन संरचना में संविदा वेतन निर्धारण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(1) नियम 4(2) एवं 4(3) में उल्लेखित पदों पर संविदा नियुक्ति के मामले में –

(क) दिनांक 1.1.2016 के पूर्व छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में प्रथमतः शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि पर अनुज्ञेय मूल वेतन के आधार पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 7 के प्रावधानानुसार पुनरीक्षित वेतन सरंचना के तत्स्थानी लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार से निर्धारित मूल वेतन का 50% संविदा नियम के नियम 12(2)(ख) के प्रयोजनार्थ मूल संविदा वेतन होगा।

(ख) दिनांक 1.1.2016 अथवा इसके पश्चात्वर्ती तिथि में सेवानिवृत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि पर अनुज्ञेय मूल वेतन का 50% संविदा नियम, 2012 के नियम 12 (2) (ख) के प्रयोजनार्थ मूल संविदा वेतन होगा।

(2) नियम 4 (4) में उल्लेखित पदों पर संविदा नियुक्ति के मामले में –

(क) समान पद पर संविदा नियुक्ति होने पर उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1) के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा।

(ख) उच्च पद पर संविदा नियुक्ति होने पर –

(i) दिनांक 1.1.2016 के पूर्व छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के संविदा नियुक्ति प्रकरणों में प्रथमतः संबंधित उच्च पद के तत्समय प्रवृत्त वेतनमान में अनुज्ञेय मूल वेतन के आधार पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 7 के प्रावधानानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना के तत्स्थानी लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। तदोपरांत सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के मूल वेतन का छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 7 के प्रावधानानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में तत्स्थानी लेवल में काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार से प्राक्कलित सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के एवज में पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्च पद हेतु प्राक्कलित मूल वेतन से घटाये जाने पर प्राप्त राशि संविदा नियम 12 (2) (ग) के प्रयोजनार्थ मूल संविदा वेतन होगा।

(ii) दिनांक 1.1.2016 या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी के संविदा नियुक्ति के प्रकरणों में संविदा नियम 12 (2) (ग) के अंतर्गत उच्च पद के तत्समय प्रवृत्त वेतनमान में मूल नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मूल वेतन में से पेंशन के एवज में सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के मूल वेतन की 50% राशि घटाये जाने पर प्राप्त राशि उक्त नियम के प्रयोजनार्थ मूल संविदा वेतन होगा।

(3) गृह भाड़ा भत्ता का भुगतान वेतन पुनरीक्षण के पहले के वेतनमान एवं दर पर होगा।

(4) छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के आधार पर पेंशन पुनरीक्षित होने के उपरांत पेंशन के एवज में घटाये जाने वाली राशि के पुनरीक्षण हेतु अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।

(5) इन दरों के अनुसार संविदा वेतन का भुगतान माह जुलाई, 2017 का वेतन (अगस्त, 2017 को देय) से प्रारंभ किया जाएगा तथा 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2017 तक के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 331/एल 2015–71–00338/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 24.7.2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

24/7/2017

(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव